

मण्डल कार्यालय, 19 महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर

**LIMITED TENDER NO.03/2023-2024  
 ( ONLY FOR EMPANELLED VENDORS IN INDORE DIVISION UNDER THE CATEGORY)**

निविदा क्र. 03 / 2023-2024

विषय: भारतीय जीवन बीमा निगम : इंदौर मंडल 'चन्द्र निवास' गेस्ट हाउस एवं इंदिरा काम्प्लेक्स नवलखा इंदौर में अतिथियों के ठहरने रखरखाव, एवं खान-पान व्यवस्था(यदि आवश्यक हो ) सञ्चालन हेतु निविदा ।

## आर्थिक निविदा

क्र.	विवरण न्यूनतम आवश्यक देय राशी विवरण ।	विशेष	मासिक भुगतान की राशि [ GST अतिरिक्त देय ]	
			अंको में. रु.	शब्दों में :
1	चन्द्र निवास अतिथि गृह सञ्चालन हेतु न्यूनतम 2 अर्धकुशल कर्मचारी एवं इंदिरा काम्प्लेक्स नवलखा अतिथि गृह हेतु न्यूनतम 1 कर्मचारी [ कुल तीन कर्मचारी ] हेतु केन्द्रीय / राज्य शासन द्वारा न्यूनतम [ रु 671.00 ] के वेतन अनुसार 30 हेतु मासिक राशी । निगम द्वारा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है ।	न्यूनतम तीन अकुशल मजदूर के केन्द्रीय शासन द्वारा निर्धारित वेतन के आधार पर सेवा प्रदाता का प्रबंधन शुल्क	20130.00	रु.बीस हजार एक सौ तीस मात्र
	सञ्चालन हेतु सेवा प्रदाता द्वारा आवश्यक वंचित राशी का विवरण		अंको में रु.	शब्दों में रु.
अ	न्यूनतम तीन कर्मचारियों के नियोजन ,उन्हें प्रदान की जाने वाली गणवेश , 24 X 7 मोबाइल सेवा इत्यादि चाही गई सुविधाओं हेतु प्रबंधन शुल्क ।	सामग्री व्यय	.00	रु._____
ब	साफ सफाई के कार्यों के रूपरेखा के अनुरूप कार्य संपन्न करने हेतु आवश्यक मेन पॉवर और समस्त सामग्री हेतु वांछित राशी ।	सामग्री व्यय	.00	
स	अतिथियों को दिए जाने वाले सुविधाओं हेतु व्यय आवश्यक सामग्री हेतु वांछित राशी ।	सामग्री व्यय	.00	रु._____

कुल योग (पूर्ण रूपों में)		.00	रु. _____
---------------------------	--	-----	-----------

टिप्पणी : उक्त कार्य हेतु वांछित मासिक राशि संविदा श्रमिकों का वेतन राशि एवं प्रबंधन शुल्क सम्मिलित होगा | पात्रता के अनुसार EPF ,EICS & Service Tax का भुगतान पृथक किया जायेगा |

स्थान ;  
समय

टेंडर के हस्ताक्षर /मुहर

पृष्ठ -02/02

आवश्यक निर्देश एवं जानकारी :

1. टेंडर जमा की अंतिम तिथि- 28.03.2023 समय दोपहर 12.00 बजे |
2. टेंडर खोले जाने की तिथि- 28.03.2023 समय सायं 03.00 बजे |
3. खाद्य एवं ओषधि प्रशासन मध्यप्रदेश का आद्यतन प्रमाण पत्र सलग्न करना अनिवार्य है |
4. सम्पूर्ण कार्य संपादन हेतु वांछित संविदा श्रमिकों का वेतन राशि एवं प्रबंधन शुल्क की मासिक राशि सम्मिलित लिखा जायेगा | कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन एवं अन्य लाभ राज्यशासन अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा, जो अधिक हो देय होगा. | श्रमिकों को भुगतान बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाना होगा |
5. ठेकेदार की पात्रता के अनुसार EPF ,EICS & Service Tax का भुगतान पृथक किया जायेगा |
6. अर्नेस्ट मनी जमा न किये जाने की दशा में टेंडर पर विचार नहीं किया जायेगा |
7. अथिति गृह के सञ्चालन की संविदा एक वर्ष के लिए होगा | आगामी दो वर्षों में प्रतिवर्ष सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से इन्ही सेवा शर्तों एवं सञ्चालन दरो पर सहमत होने की दशा में बढ़ाया जा सकेगा |
8. निविदा कर्ता को रु 5000/- ( Five thousand only) की अर्नेस्ट मनी (EMD) जमा करना होगी | बिना EMD राशि के टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा | सफल निविदा कर्ता को कार्य आदेश प्राप्त होने के 7 दिन के अन्दर टेंडर राशि की १० प्रतिशत सुरक्षा निधि जमा करना होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा |

## चयन का आधार निम्न प्रकार से होगा

1. चयन का आधार फायनान्सियल बिड में तीनों दर्शाए बिंदु (अ ब स) के कुल योग की न्यूनतमराशि के आधार पर होगा | यदि एक से अधिक एल-1 होते हैं तो
2. चुने गये एल-1 द्वारा बिन्दु क्रमांक (ब) में दी गयी राशी में से न्यूनतम राशी वाले टेंडरकर्ता पर होगा | यदि यहाँ पर भी एक से अधिक एल-1 होते हैं तो
3. बिन्दु क्रमांक ( ब ) में समान राशी कोर्ट करने वाले एल-1 के द्वारा बिन्दु क्रमांक (स) में दी गयी न्यूनतम राशी के आधार पर होगा | | यदि एक से अधिक एल-1 होते हैं तो बिन्दु क्रमांक ( ब ) एवं ( स ) में समान राशी कोर्ट करने वाले एल-1 के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी भी अतिथी गृह में दी गयी सेवाओं की समय अवधि ( Number of completed Year service given As per work Order .Proof to be submitted ) के आधार पर होगा |
4. प्रबंधन शुल्क पूर्ण रूपसे में हो एवं शून्य प्रबंधन शुल्क निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर दिया जायेगा |
5. किसी भी स्थिति में, बिना किसी को कारण बताये, संविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के पास रहेगा |
6. किसी भी परिवाद में न्याय क्षेत्र इंदौर होगा|

स्थान :

समय

वेंडर के हस्ताक्षर /मुहर